

फर्द अहकाम

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जयपुर ग्रामीण

इरफान खॉ बनाम सहायक कलक्टर फास्ट ट्रैक जमवारामगढ व अन्य

केस संख्या 32/2023 (मुन्तकिल प्रार्थना पत्र)

नांक आज्ञा कार्यवाही	आज्ञा का विस्तृत रूप	विशेष विवरण
8.03.2024	<p>पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित है। प्रार्थी अधिवक्ता ने अवगत कराया है कि सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) जमवारामगढ के पीठासीन अधिकारी श्री चिमन लाल मीणा आर.ए.एस. का अन्यत्र स्थानान्तरण हो गया है।</p> <p>प्रार्थी के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली का मतीमांति अवलोकन किया गया।</p> <p>प्रार्थी ने सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) जमवारामगढ के समक्ष विचारावीन प्रकरण संख्या 165/2021 व उनवानी इरफान खॉ बनाम नमन खॉ में पीठासीन अधिकारी श्री चिमन लाल मीणा आर.ए.एस. से न्याय मिलने में शंका जाहिर कर उक्त प्रकरण को अन्यत्र समक्ष न्यायालय में स्थानान्तरण किये जाने का अनुरोध किया है।</p> <p>सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) जमवारामगढ के पीठासीन अधिकारी श्री चिमन लाल मीणा आर.ए.एस. का अन्यत्र स्थानान्तरण हो जाने से उनके विरुद्ध प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र स्वतः ही प्रनाव शुन्य (Infructuous) हो गया है। फलस्वरूप प्रार्थी का मुन्तकिल प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम हो।</p> <p style="text-align: right;">(प्रकाश राजपुरोहित) जिला कलक्टर जयपुर (ग्रामीण)</p>	